न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 48 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. बालमराम पुत्र पीथाराम
2. पूंजाराम पुत्र पीथाराम
3. माणकाराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी बालेवा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.लीलाराम पुत्र पीथाराम जाति मेगवाल निवासी बालेबा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।
2.श्रीमान तहसीलदार एवं उप पंजीयक गड़रारोड़।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 182/2018 बअनवान लीलाराम बनाम बालमराम वगैरा आदेश दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 21.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण जो कि खसरा संख्या 145 व 679/129 रकबा क्रमश 108.06 बीघा व 49.01 बीघा मौजा बालेवा तहसील गडरारोड़ के रेकर्डेड खातेदार है को सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायियक प्रक्रिया अपनाये बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिनांक 16.05.2017 को पारित निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिया के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व तथ्यों को दरकिनार कर अपने विवके का इस्तेमाल किये बिना व अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल मात्र उतरदाता लीलाराम के कथनों पर विश्वास कर हेतु अपने ही निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट के नाम कोई नोटिस जारी नहीं हुए। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव की सूचना प्रार्थी को नहीं देते हुए एकतरफा विभाजन प्रस्ताव श्रीमान तहसीलदार ने तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पेश किया गया। दिनांक 30.06.2018 को प्रकरण की सुनवाई हेतु बिना किसी आदेश मेगा कैम्प कोर्ट बमुकाम शिव में पेश हुई इस बाबत अपीलांट की किसी प्रकार की कोई सूचना एवं नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश आंख बंद कर न्यायिक प्रक्रिया एवं सीपीसी के प्रावधानों को अपनाये बिना विधि के सिद्धान्तों के अपनाये पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व तथ्यों को दरकिनार कर अपने विवके का इस्तेमाल किये बिना व अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल मात्र उतरदाता लीलाराम के कथनों पर विश्वास कर अपने ही निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट के नाम कोई नोटिस जारी नहीं हुए। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव की प्रार्थी को सूचना नहीं देते हुए एकतरफा विभाजन प्रस्ताव श्रीमान तहसीलदार ने तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 30.06.2018 को प्रकरण पत्रावली सुनवाई हेतु बिना किसी आदेश मेगा कैम्प कोर्ट बमुकाम शिव में पेश हुई इस बाबत अपीलांट की किसी प्रकार की कोई सूचना एवं नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश आंख बंद कर न्यायिक प्रक्रिया एवं सीपीसी के प्रावधानों को अपनाये बिना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। निर्णय दिनांक 16.05.2017 में मुझ प्रार्थी की सहमति बताई गई है किन्तु विभाजन प्रस्ताव पर सहमति स्वरूप किये गये हस्ताक्षार किसी अन्य लीलाराम के हस्ताक्षर है जिसकी वल्दियत भी भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहवन से भिन्न वल्दियत के लीलाराम के हस्ताक्षर को मुझ प्रार्थी के मानकर सहमति से निर्णय बताया जबकि वह निर्णय विधि सम्मत नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में मेरे द्वारा पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मामले में उभयपक्ष सगे भ्राता हैं तथा अपनी सहखातेदारी की भूमि का विभाजन चाहते है। पूर्व में विभाजन प्रस्ताव बाबत सहमति होना संदिग्ध पाई गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय प्रस्तुत अपीलाधीन आवेदन–पत्र पर निर्णय देकर अपास्त किया है। वाद में वांछित अनुतोष अभी शेष है इसलिए मामला रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 182/2018 बअनवान लीलाराम बनाम बालमराम वगैरा आदेश दिनांक 30.06.2018 व राजस्व वाद संख्या 17/2016 बअनवान बालमराम वगैरा बनाम लीलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2016 व 16.05.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को वाद में समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर तहसीलदार स्वयं से विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड सिद्धांत के आधार पर प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

21/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतखान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner